

## भाग क-साधारण

साधारण

व्यक्तिगत जानकारी	नाम				स्थायी लेखा संख्यांक			
	क्या नाम में कोई परिवर्तन हुआ है ? यदि हां, कृपया पुराना नाम दें							
	फ्लैट/द्वार/ब्लाक सं०		परिसर/भवन/ग्राम का नाम			विवरण की तारीख (दिन/मास/वर्ष)		
	सड़क/गली/डाकघर		क्षेत्र/अवस्थान			प्रास्थिति (फर्म-1, स्थानीय प्राधिकारी-2, सहकारी बैंक-3, सहकारी सोसाइटी-4, अन्य एओपी/ बीओआई कृतिम विधिक व्यक्ति-5)		
	नगर/शहर/जिला		राज्य		पिनकोड		धारा- के अधीन फाइल की गई विवरणी (कोड प्रविष्ट करें)	
ई-मेल पता				(एसटीडी कोड) फोन नं०				
फाइल करने की प्रास्थिति	निर्धारण अधिकारी का पदान		क्षेत्र कोड	एओ टाइप	रेंज कोड	एओ सं०	आय कर	
							अनुषंगी फायदे	
	विवरणी मूल या पुनरीक्षित? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> मूल <input type="checkbox"/> पुनरीक्षित							
	यदि पुनरीक्षित है तो मूल विवरणी की प्राप्ति सं० और फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (दिन/मास/वर्ष)							
	निवास संबंधी प्रास्थिति (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> अनिवासी <input type="checkbox"/> निवासी किंतु मामूली तौर पर निवासी नहीं							
	अनिवासी की दशा में, क्या भारत में कोई स्थायी स्थापन है ?(सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं							
	क्या यह विवरणी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की जा रही है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं							
	यदि हां, कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें-							
	(क)	प्रतिनिधि का नाम						
	(ख)	प्रतिनिधि का पता						
(ग)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा सं०							
संपरीक्षा जानकारी	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखे रखने के लिए दायी हैं? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं							
	क्या आप धारा 44कख के अनुसार लेखे रखने के लिए दायी हैं? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं, यदि हां, तो निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें							
	(क)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम						
	(ख)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या						
	(ग)	लेखा परीक्षक का नाम (संपत्तिक/ फर्म)						
	(घ)	संपत्तिक/ फर्म का स्थायी लेखा संख्या (स्थायी लेखा सं०)						
(ङ)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख							

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

प्राप्ति सं०

तारीख

प्राप्तकर्ता पदधारी की मोहर और हस्ताक्षर



	ग	शुद्ध समूह (क-ख)	1ग		
	घ	प्रगतिगत कार्य पूंजी	1घ		
	ङ	योग (1ग+1घ)		1ङ	
2	विनिधान				
	क	दीर्घकालिक विनिधान			
	i	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां-कोट की गई	का		
	ii	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां-कोट न की गई	काii		
	iii	योग (का+काii)		काiii	
	ख	अल्पकालिक विनिधान			
	i	साधारण शेयर	खां		
	ii	अधिमानी शेयर	खाii		
	iii	डिबेंचर	खाiii		
	iv	योग (खां+खाii+खाiii)		खाiv	
	ग	कुल विनिधान (काiii+खाiv)		2ग	
3	चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम				
	क	चालू आस्तियां			
	i	सूचियां			
		अ भंडार, रसायन और पैकिंग सामग्री	ia		
		आ कच्चा माल	iaa		
		इ प्रगतिगत स्टॉक	id		
		ई तैयार माल/व्यापारगत माल	ide		
		उ योग (ia+iaa+id+ide)		iu	
	ii	विविध देनदार		kaii	
	iii	नकदी और बैंक अतिशेष			
		अ हाथ में नकदी	iii अ		
		आ बैंक में अतिशेष	iii आ		
		इ योग (iii अ+iii आ)		iii इ	
	iv	अन्य चालू आस्तियां		kaiv	
	v	कुल चालू आस्तियां (iu+ kaii+iiiइ+ क iv)		कv	
	ख	ऋण और अग्रिम			
	i	नकद या वस्तु में वसूलनीय या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए अग्रिम	खा		
	ii	निक्षेप उधार तथा कारपोरेट अग्रिम और अन्य	खाii		
	iii	राजस्व प्राधिकारियों के पास अतिशेष, आदि	खाiii		
	iv	योग (खा + खाii +खाiii)		खाiv	
	ग	योग (क v+ ख v)		3ग	
	घ	विद्यमान दायित्व और उपबंध			
	i	विद्यमान दायित्व और उपबंध			
		अ विविध लेनदार	ia		
		आ पट्टाधृत आस्तियों के लिए दायित्व	iaa		
		इ उपरोक्त पर प्रोद्भूत ब्याज	id		
		ई ऋण पर प्रोद्भूत किन्तु शोध्य नहीं ब्याज	ide		
		उ योग (ia+iaa +id +ide)		iu	
	ii	उपबंध			
		अ आयकर के लिए उपबंध	iiअ		
		आ अनुषंगिक फायदा कर के लिए उपबंध	ii आ		
		इ धन कर के लिए उपबंध	ii इ		
		ई छुट्टी नकदीकरण/अधिवर्षिता-उपदान के लिए उपबंध	iiई		
		उ अन्य उपबंध	iiउ		
		ऐ योग (iiअ+iiआ +iiइ +iiई+iiउ +iiऊ +iiए)		ii ए	
	iii	योग (iu+iiए)		घiii	
	ङ	शुद्ध चालू आस्तियां (3ग-घiii)		3ङ	
4	क	अपलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय	4क		
	ख	आस्थगित कर आस्ति	4ख		



	ग	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	15ग	
	घ	छुट्टी नकदीकरण	15घ	
	ङ	छुट्टी यात्रा फायदा	15ङ	
	च	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	15च	
	छ	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	15छ	
	ज	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	15ज	
	झ	किसी अन्य निधि में अभिदाय	15झ	
	ञ	कर्मचारियों को कोई ऐसा अन्य फायदा, जिसकी बाबत कोई व्यय उपगत किया गया है	15ञ	
	ट	संदत्त और संदेय अनुषंगी फायदा कर	15ट	
	ठ	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (15क+15ख+15ग+15घ+15ङ +15च+15छ+15ज+15झ+15ञ+15ट)	15ठ	
16	बीमा			
	क	चिकित्सा बीमा	16क	
	ख	जीवन बीमा	16ख	
	ग	प्रमुख व्यक्ति का बीमा	16ग	
	घ	अन्य बीमा	16घ	
	ङ	बीमा पर कुल व्यय (16क+16ख+16ग+16घ)	16ङ	
17		कर्मकार और कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय		17
18		मनोरंजन		18
19		सत्कार		19
20		सम्मेलन		20
21		प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन से भिन्न)		21
22		विज्ञापन		22
23		कमीशन		23
24		होटल, बोर्डिंग और वासा		24
25		विदेश यात्रा सहित यात्रा व्यय		25
26		वाहन खर्च		26
27		टेलीफोन व्यय		27
28		अतिथि गृह व्यय		28
29		क्लब व्यय		29
30		उत्सव समारोह व्यय		30
31		छात्रवृत्ति		31
32		दान		32
33		संदान		33
34		सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय रेट और कर (आय पर करों को छोड़कर)		
	क	संघ उत्पाद शुल्क	34क	
	ख	सेवा कर	34ख	
	ग	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	34ग	
	घ	उपकर	34घ	
	ङ	एसटीटी सहित कोई अन्य रेट, कर, शुल्क या उपकर	34ङ	
	च	संदत्त या संदेय कुल रेट और कर (34क+34ख+34ग+34घ+34ङ)	34च	
35		लेखा परीक्षा शुल्क		35
36		अन्य व्यय		36
37		डूबंत ऋण		37
38		डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध		38
39		अन्य उपबंध		39
40		ब्याज, अवक्षयण और करों से पूर्व लाभ [5 -(6+7+8छ +9से 14+15ठ +16क +17से 33+34च+35 से 39)]		40
41		ब्याज		41
42		अवक्षयण		42
43		कर पूर्व लाभ (40-41-42)		43
44		चालू कर के लिए उपबंध		44
45		अनुषंगी फायदा कर के लिए उपबंध		45
46		आस्थगित कर के लिए उपबंध		46
47		कर पश्चात् लाभ (43-44-45-46)		47

	48	पूर्व वर्ष से अग्रणीत बकाया	48	
	49	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम	49	
	50	आरक्षितियों और अधिशेष में अंतरित	50	
	51	भागीदार के लेखे में तुलन पत्र में लिया गया बकाया (49-50)	51	
लेखा न होने का मामला	52	उस दशा में, जहां कारबार या वृत्ति की नियमित लेखा-बहियां नहीं रखी जाती हैं, कारबार या वृत्ति की बाबत पूर्व वर्ष 2008-09 के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें		
		क सकल प्राप्तियां	52क	
		ख सकल लाभ	52ख	
		ग व्यय	52ग	
		घ शुद्ध लाभ	52घ	

**भाग क- अन्य जानकारी** अन्य जानकारी (धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी न होने की दशा में वैकल्पिक)

अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति	(चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> वाणिज्य <input type="checkbox"/> नकद
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है	(चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	3	धारा 145 के अधीन विहित लेखा मानकों से पूर्व वर्ष में नियोजित लेखा पद्धति में विचलन के कारण, यदि कोई हो, लाभ पर प्रभाव	3
	4	पूर्व वर्ष में नियोजित बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति	
		क कच्चा माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	<input type="checkbox"/>
		ख तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	<input type="checkbox"/>
		ग क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (यदि हां तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें)	<input type="checkbox"/>
		घ धारा 145क के अधीन विहित मूल्यांकन पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ या हानि पर प्रभाव	4घ
	5	लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई रकम, जो-	
		क धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मदें हैं	5क
		ख सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवाकर का प्रोफार्मा जमा, वापसी, प्रतिदाय या विक्रय कर या मूल्य वर्धित कर का प्रतिदाय, जहां ऐसा जमा, वापसी या प्रतिदायों को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा देय माना गया है	5ख
		ग पूर्ववर्ष के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे	5ग
		घ आय की कोई अन्य मद	5घ
		ङ पूंजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ
		च लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)	5च
	6	धारा 36 के अधीन नामंजूर सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकम-	
		क स्टॉक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम	6क
		ख कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम	6ख
		ग किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभांश के रूप में अन्यथा संदेय थी	
		घ उधार ली गई पूंजी की बाबत संदत्त ब्याज की कोई रकम	6घ
	ङ जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम	6ङ	
	च किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम	6च	
	छ अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदायों की रकम	6छ	
	ज मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम	6ज	
	झ किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम	6झ	
	ञ डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम	6ञ	
	ट डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध	6ट	
	ठ किसी विशेष आरक्षित में अंतरित रकम	6ठ	
	ड कर्मचारियों की बीच परिवार कल्याण के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए व्यय	6ड	
	ढ नियत तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में जमा की गई सीमा तक किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि	6ढ	
	ण कोई अन्य अननुज्ञेय	6ण	
	त धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ण का योग)	6त	
7	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें		
	क व्यक्तिगत प्रकृति का व्यय	7क	

	ख	किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय	7ख		
	ग	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ग		
	घ	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7घ		
	ङ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है	7ङ		
	च	आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7च		
	छ	ऐसी आय के संबंध में व्यय की रकम, जो कुल आय का भाग नहीं बनती	7छ		
	ज	धारा 37 के अधीन अनुज्ञात न की गई कोई अन्य रकम	7ज		
	झ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7ज का योग)		7झ	
8	अ	धारा 80 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			
	क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(i), धारा 40 (क)(ik) और धारा 40 (क)(iii) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक		
	ख	अनुषंगी लाभ कर के रूप में संदत्त रकम	अख		
	ग	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम	अग		
	घ	धनकर के रूप में संदत्त रकम	अघ		
	ङ	किसी भागीदार या सदस्य को संदत्त ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या परिलब्धि की रकम	अङ		
	च	कोई अन्य अननुज्ञेय	अच		
	छ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अच का योग)	अछ		
				8अछ	
	आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 80 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम		8आ	
9		धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें			
	क	धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकमें	9क		
	ख	एकाउन्ट पेई चेक या एकाउन्ट पेई बैंक ड्राफ्ट से भिन्न संदत्त धारा 40क(3) के अंतर्गत अननुज्ञेय --100 % अननुज्ञेय	9ख		
	ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध	9ग		
	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, एओपी या बीओआई या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि	9घ		
	ङ	कोई अन्य अननुज्ञेय	9ङ		
	च	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (9क ओर 9ङ का योग)		9च	
10		किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञात किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम			
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ		
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक से ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ		
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	10च		
	छ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (10क से 10च का योग)		10छ	
11		पूर्व वर्ष के लाभ-हानि लेखे में विकलित किन्तु धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कोई रकम			
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	11क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ		
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक से ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ		

	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	11क	
	छ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11च का योग)		11छ
12		निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम		
	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क	
	ख	सेवा कर	12ख	
	ग	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	12ग	
	घ	कोई अन्य कर	12घ	
	ङ	अधिशेष कुल रकम (12क से 12घ का योग)		12ङ
13		धारा 33कख या धारा 33कख या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें		13
14		धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम		14
15		लाभ-हानि लेखे में (शुद्ध) जमा या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम		15

**भाग क-परिणात्मक ब्यौरे** परिणात्मक ब्यौरे (धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी न होने की दशा में वैकल्पिक)

परिणात्मक ब्यौरे	(क)	व्यापारिक समुत्थान की दशा में			
	1	आरंभिक स्टाक		1	
	2	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय		2	
	3	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय		3	
	4	बंद स्टाक		4	
	5	कमी/अधिकता, यदि कोई हो		5	
	(ख)	विनिर्माण समुत्थान की दशा में			
	6	कच्ची सामग्री			
		क	आरंभिक स्टाक	6क	
		ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6ख	
		ग	पूर्व वर्ष के दौरान उपभोग	6ग	
		घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6घ	
		ङ	बंद स्टाक	6ङ	
		च	प्राप्त तैयार उत्पाद	6च	
		छ	प्राप्ति का प्रतिशत	6छ	
		ज	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	6ज	
	7.	तैयार उत्पाद/सह उत्पाद			
		क	आरंभिक स्टाक	7क	
		ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7ख	
		ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग	
	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7घ		
	ङ	बंद स्टाक	7ङ		
	च	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	7च		

**भाग ख-कुल आय** कुल आय की संगणना

1	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृह संपत्ति का 4ग) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)		1
2	कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ		
	i	सट्टेबाजी के कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची-बीपी का ए 37) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	2i
	ii	सट्टेबाजी के कारबार से लाभ और हानि (अनुसूची-बीपी का बी 41) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	2ii
	iii	योग (2i+2ii) शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि और यह अंकित अनुसूची सीवाईएलए की हानि में है	2iii
3	पूंजी अभिलाभ		
	क	अल्पकालिक	
	i	अल्पकालिक (धारा 111क के अधीन)(अनुसूची-सीजी का क7) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	3कi
	ii	अल्पकालिक (अन्य) (धारा 111क के अधीन)(अनुसूची-सीजी का क8) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	3कii
	iii	कुल अल्पकालिक (3कi+3कii)	3कiii
	ख	दीर्घकालिक (अनुसूची-सीजी का बी6) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	3ख
	ग	कुल पूंजी अभिलाभ (3कiii+3ख) (अनुसूची सीवाईएलए को समायोजित आंकड़े लें)	3ग

4	अन्य स्रोतों से आय			
	क	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न स्रोत से (अनुसूची ओएस का 3) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	4क	
	ख	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से (अनुसूची ओएस का 4ग) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	4ख	
	ग	योग (4क+4ख)		4ग
5	योग (1+2ग+3ग+4ग)			5
6	6 के संबंध में मुजरा किए जाने वाली चालू वर्ष की हानि (अनुसूची सीवाईएलए के 2vii, 3vii और 4vii का योग)			6
7	चालू वर्ष की हानि के मुजरे के पश्चात् अतिशेष (6-7)			7
8	6 के संबंध में मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत की गई हानि या (अनुसूची बीएफएलए के 2vii, 3vii और 4vii का योग)			8
9	सकल कुल आय (6-7-8) (अनुसूची बीएफएलए के 5viii भी)			9
10	अध्याय 6-क के अधीन कटौतियां (अनुसूची 6क का ट)			10
11	कुल आय (10-11)			11
12	रेट प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय/कोई अन्य आय (अनुसूची ईआई का 4)			12
13	कुल आय (11+12)			13
14	अग्रनीत की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची सीएफएल के xi का योग)			14

**भाग ख-कुल आय पर कर दायित्व**

**कुल आय पर कर दायित्व की संगणना**

1	कुल आय पर संदेय कर			
	क	सामान्य दरों पर कर	1क	
	ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची-एसआई का 11)	1ख	
2	कुल आय पर संदेय कर (1क+1ख)			2
3	2 पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा सहित शिक्षा उपकर			3
4	सकल कर दायित्व (2+3)			4
5	कर राहत			
	क	धारा 90	5क	
	ख	धारा 91	5ख	
	ग	योग (5क+5ख)		5ग
6	शुद्ध कर दायित्व (5-6ग)			6
7	संदेय ब्याज			
	क	विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234क)	7क	
	ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234ख)	7ख	
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए (धारा 234ग)	7ग	
	घ	संदेय कुल बकाया (7क+7ख+7ग)		7घ
8	कुल दायित्व (6+7घ)			8
9	संदत्त कर			
	क	अग्रिम कर (अनुसूची-आईटी से)	9क	
	ख	स्रोत पर काटा गया कर (अनुसूची-टबीएस2 का स्तंभ 9)	9ख	
	ग	टीसीएस (अनुसूची-सीटीएस का स्तंभ 8)	9ग	
	घ	स्वतः निर्धारण (अनुसूची-आईटी से)	9घ	
	ङ	कुल संदत्त कर (9क+9ख+9ग+9घ)		9ङ
10	संदेय रकम (यदि 8, 9ङ से अधिक है तो प्रविष्ट करें, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें)			10
12	प्रतिदाय (यदि 9ङ, 8 से अधिक है, अनुसूची -बीए में बैंक खते के ब्यारे भी दें)			11

**सत्यापन**

मैं,.....जो.....का पुत्र/पुत्री हूँ स्थायी लेखा संख्यां,.....का धारक हूँ सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इस विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी सही और पूर्ण हैं और उसमें दर्शित कुल आय/अनुषंगी फायदों की रकम और अन्य विशिष्टियां निर्धारण वर्ष 2010-11 से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए आयकर से प्रभार्य आय और अनुषंगी फायदों की बाबत सही कथित की गई हैं और आयकर अधिनियम, 1961 के उपबधों के अनुसार हैं। मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं.....की अपनी हैसियत में यह विवरणी दे रहा/रही हूँ और मैं यह विवरणी देने और इसे सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ।

स्थान

तारीख

यहां हस्ताक्षर करें→

<b>अनुसूची-बीए</b>		प्रतिदाय की दशा में, कृपया उस बैंक खाते की बाबत निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें, जिसमें प्रतिदाय जमा किया जाना है।											
1	अपना बैंक खाता संख्यांक लिखें (प्रतिदाय की दशा में अनिवार्य)												
2	क्या आप अपना प्रतिदाय <input type="checkbox"/> चेक, या <input type="checkbox"/> आपके बैंक खाते में सीधे जमा करके चाहते हैं ? (जैसा लागू हो सही का निशान लगाएँ)												
3	आपके बैंक खाते में सीधे जमा करने की दशा में, अतिरिक्त ब्यौरे दें												
एमआईसीआर कोड													
		खाते का प्रकार (जैसा लागू हो सही का निशान लगाएँ)										<input type="checkbox"/> बचत	<input type="checkbox"/> चालू

<b>अनुसूची-एचपी</b>		गृह संपत्ति से आय के ब्यौरे (कृपया अनुदेश निर्दिष्ट करें)												
गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर/शहर	राज्य	पिनकोड									
		( सही का निशान) <input checked="" type="checkbox"/> यदि किराए पर दिया है <input type="checkbox"/>	किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (वैकल्पिक)										
	क	वार्षिक किराया योग्य मूल्य/प्राप्त या प्राप्य किराया(अधिक है, यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दिया गया है, कम है, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया है)										1क		
	ख	किराए की वह रकम, जो वसूल नहीं की जा सकती	1ख											
	ग	कर, स्थानीय प्राधिकरणों को संदाय किया जाता है	1ग											
	घ	योग (1ख+1ग)	1घ											
	ङ	बकाया(1क-1घ)	1ङ											
	च	1ङ का 30%	1च											
	छ	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	1छ											
	ज	योग (1च+1छ)	1ज											
झ	गृह संपत्ति से आय 1(1ङ-1ज)	1झ												
गृह संपत्ति	2	संपत्ति 2 का पता	नगर/शहर	राज्य	पिनकोड									
		( सही का निशान) <input checked="" type="checkbox"/> यदि किराए पर दिया है <input type="checkbox"/>	किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (वैकल्पिक)										
	क	वार्षिक किराया योग्य मूल्य/प्राप्त या प्राप्य किराया(अधिक है, यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दिया गया है, कम है, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया है)										2क		
	ख	किराए की वह रकम, जो वसूल नहीं की जा सकती	2ख											
	ग	कर, स्थानीय प्राधिकरणों को संदाय किया जाता है	2ग											
	घ	योग (2ख+2ग)	2घ											
	ङ	बकाया(2क-2घ)	2ङ											
	च	2ङ का 30%	2च											
	छ	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2छ											
	ज	योग (2च+2छ)	2ज											
झ	गृह संपत्ति से आय 2(2ङ-2ज)	2झ												
गृह संपत्ति	3	संपत्ति 3 का पता	नगर/शहर	राज्य	पिनकोड									
		( सही का निशान) <input checked="" type="checkbox"/> यदि किराए पर दिया है <input type="checkbox"/>	किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (वैकल्पिक)										
	क	वार्षिक किराया योग्य मूल्य/प्राप्त या प्राप्य किराया(अधिक है, यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दिया गया है, कम है, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया है)										3क		
	ख	किराए की वह रकम, जो वसूल नहीं की जा सकती	3ख											
	ग	कर, स्थानीय प्राधिकरणों को संदाय किया जाता है	3ग											
	घ	योग (3ख+3ग)	3घ											
	ङ	बकाया(3क-3घ)	3ङ											
	च	3ङ का 30%	3च											
	छ	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	3छ											
	ज	योग (3च+3छ)	3ज											
झ	गृह संपत्ति से आय 3(3ङ-3ज)	3झ												
गृह संपत्ति	4	“गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय												
	क	धारा 25क/कक के अधीन वसूल किया गया पूर्ववर्ष का किराया	4क											
	ख	30% की कटौती करने के पश्चात् धारा 25ख के अधीन वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया कर	4ख											
	ग	योग (4क+4ख+1ि+2ि+3ि)	4ग											

**अनुसूची - कारबार या वृत्ति** कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

कारबार या वृत्ति से आय

अ	सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति		
1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क पी और एल का मद 43 या मद 52घ)		1
2	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	2	
3	आय के अन्य शीर्षों के अधीन समझे गए लाभ और हानि लेखा में जमा आय/रशीदें	3	
4	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कघ/44कङ/44कच/44खख/44खखक/44खखख/अध्याय 12छ/पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है	4	
5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है		
	क	छूट प्राप्त आय	5क
		फार्म/ फार्मों से आय का अंश	5ख
		व्यक्ति संगम/व्यष्टि निकाय से आय का अंश	5ग
		कुल छूट प्राप्त आय	5घ
6	बकाया (1-2-3-4-5घ)		6
7	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय	7	
8	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय	8	
9	कुल (7 + 8)	9	
10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)		10
11	9 में सम्मिलित लाभ और हानि लेखा में विकलित अवज्ञयण		11
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण		
	i	धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची डीईपी का स्तंभ 6)	12i
	ii	धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अपनी संगणना करे और आयकर नियमों की प्रशिक्षित-झक को देखें)	12ii
	iii	कुल (12i + 12ii)	12iii
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)		13
14	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 6त)	14	
15	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 7झ)	15	
16	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 8कझ)	16	
17	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 9घ)	17	
18	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं (भाग-ओआई 11छ)	18	
19	सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय ब्याज	19	
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20	
21	धारा 33कख/ 33कखक/ 35कखख/ 72क/ 80जजघ/ 80झक के अधीन समझी गई आय	21	
22	धारा 28 से 44घक के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें	22	
23	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अननुज्ञेय नहीं है (जिसमें वेतन से आय, कमीशन, बोनस और उस फर्म से ब्याज जिसमें निर्धारती भागीदार हैं)	23	
24	कुल ( 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22+23)		24
25	धारा 32 (1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	25	
26	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक धारा 35 के अधीन अनुज्ञेय कटौती (अनुसूची इएसआर का मद vii (4))	26	
27	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 80 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम (भाग ओआई का 8ख)	27	
28	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग ओआई का 10)	28	
29	धारा 35 कग के अधीन कटौती	29	
	क	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम	29 क
	ख	अनुज्ञेय कटौती	29ख
	ग	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय	29ग
30	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम		30
31	कुल ( 25 + 26+27+28+29ग + 30)		31
32	आय (13+ 24 - 31)		32
33	निम्नलिखित के अधीन लाभ या हानि -		
	i	धारा 44कघ	33i
	ii	धारा 44कङ	33ii

	iii	धारा 44कच	33iii		
	iv	धारा 44ख	33iv		
	v	धारा 44खख	33v		
	vi	धारा 44खखक	33vi		
	vii	धारा 44खखख	33vii		
	viii	धारा 44घ	33		
	ix	धारा 44घक	33ix		
	x	अध्याय-XII-छ	33x		
	xi	आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची	33 xi		
	xii	कुल(33i से 33xi)		33xii	
34		धारा 10क/10कक/10ख/10खक के अधीन कटौती से पूर्व लाभ या हानि (32 + 33x)		34	
35		निम्नलिखित के अधीन कटौतियां-			
	i	10क (अनुसूची 10क का 6)	35i		
	ii	10कक (अनुसूची 10कक का घ)	35ii		
	iii	10ख (अनुसूची 10ख का च)	35iii		
	iv	10खक (अनुसूची 10खक का च)	35iv		
	v	योग (35 i+ 35 ii+ 35 iii+ 35 iv)		35v	
36		सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34- 35v)		36	
37		नियम 7क, 7ख या 7ग लागू करने के पश्चात् कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि		अ 37	
आ		सट्टे के कारबार से आय की संगणना			
	38	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि		38	
	39	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन		39	
	40	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां		40	
	41	सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (38+39-40)		आ	
इ		'लाभ और हानि' शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (अ 37 + आ 41)			

**अनुसूची-संयंत्र और मशीनरी पर अवक्षयण**

संयंत्र और मशीनरी पर अवक्षयण

संयंत्र और मशीनरी पर अवक्षयण

1	आस्ति-समूह	संयंत्र और मशीनरी						
		15	30	40	50	60	80	100
2	रेट (%)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन को अवलिखित मूल्य							
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
5	उया 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली							
6	वह रकम जिस पर पूर्ण दर पर अवक्षयण अनुज्ञात किया जाना है (3 + 4 -5) (शून्य लिखें यदि परिणाम नकारात्मक हो)							
7	पूर्व वर्ष में 180 दिन से अन्यून की अवधि के लिए परिवर्धन							
8	7 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली							
9	वह रकम जिस पर आधी दर पर अवक्षयण अनुज्ञात किया जाना है (7-8) (शून्य लिखें यदि परिणाम नकारात्मक हो)							
10	6 पर पूरी दर से अवक्षयण							
11	9 पर आधी दर पर अवक्षयण							
12	4 पर अतिरक्त अवक्षयण, यदि कोई हो							
13	7 पर अतिरक्त अवक्षयण, यदि कोई हो							
14	कुल अवक्षयण* (10+11+12+13)							
15	आस्ति/आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय							
16	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि* (5 + 8 -3-4 -7 -15) (नकारात्मक लिखें यदि ब्लाक विद्यमान नहीं रहता है)							
17	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को अवलिखित मूल्य* (6+ 9 -14) (शून्य लिखें यदि परिणाम नकारात्मक हो)							

**अनुसूची-अन्य आस्तियों पर अवक्षयण**

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

क्र.सं.	विवरण	भवन			फर्नीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
		5	10	100			
1	रेट (%)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन को अवलिखित मूल्य						
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन						
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली						
6	रकम जिस पर अवक्षयण पूर्ण दर पर अनुज्ञात है (3+4-5) (शून्य लिखें यदि परिणाम नकारात्मक है)						
7	पूर्व वर्ष में 180 दिन से अन्यून की अवधि के लिए परिवर्धन						
8	7 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली						
9	रकम जिस पर अवक्षयण आधी दर पर अनुज्ञात है 7-8 (शून्य लिखें यदि परिणाम नकारात्मक है)						
10	6 पर पूरी दर से अवक्षयण						
11	9 पर आधी दर पर अवक्षयण						
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो						
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो						
14	कुल अवक्षयण* (10+11+12+13)						
15	आस्ति/आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय						
16	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाष/हानि* (5 + 8 -3-4 -7 -15)						
17	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को अवलिखित मूल्य* (6+ 9 -14)						

**अनुसूची-आस्तियों पर अवक्षयण का सार**

आस्तियों पर अवक्षयण का सार

आस्तियों पर अवक्षयण का सार	1	संयंत्र और मशीनरी					
		क	15 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14i)	1क			
		ख	30 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14ii)	1ख			
		ग	40 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14iii)	1ग			
		घ	50 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14iv)	1घ			
		ङ	60 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14v)	1ङ			
		च	80 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14vi)	1च			
		छ	100 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14vii)	1छ			
		ज	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ+1ङ+1च+1छ)			1ज	
		2	भवन				
		क	5 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14i)	2क			
		ख	10 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14ii)	2ख			
		ग	100 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14ii)	2ग			
		घ	भवन पर कुल अवक्षयण (2क + 2ख + 2ग)			2घ	
	3	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची डीओए -14iv)				3	
	4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए -14v)				4	
	5	पोत(अनुसूची डाओए -14vi)				5	
	6	कुल अवक्षयण (1ज+2घ+3+4+5)				6	

**अनुसूची-डीसीजी**

अवक्षयणीय आस्तियों के विक्रय पर समझे गए पूंजी अभिलाभ

1	संयंत्र और मशीनरी			
	क	15 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16i)	1क	
	ख	30 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16ii)	1ख	
	ग	40 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16iii)	1ग	
	घ	50 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16iv)	1घ	
	ङ	60 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16v)	1ङ	
	च	80 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16vi)	1च	
	छ	100 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16vii)	1छ	
	ज	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ+1ङ+1च+1छ)	1ज	
2	भवन			
	क	5 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीओए -16i)	2क	
	ख	10 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीओए -16ii)	2ख	
	ग	100 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीओए -16ii)	2ग	
	घ	कुल (2क+2ख+2ग)	2घ	
	3	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची डीपीएम-16iv)		3
	4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीपीएम-16v)		4
	5	पोत(अनुसूची डीपीएम-16vi)		5
	6	योग (1ज+2घ+3+4+5)		6

**अनुसूची इएसआर**

धारा 35 के अधीन कटौती

क्र. सं.	धारा	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो	अनुज्ञेय कटौती	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(iii)			
iv	35(1)(iv)			
v	35(2अ)			
vi	35(2अआ)			
vii	योग			

**अनुसूची-पूंजी अभिलाभ**

पूंजी अभिलाभ

पूंजी अभिलाभ	अ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग+1घ)				
	1	मंद विक्रय से				
		क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1क		
		ख	उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य	1ख		
		ग	मंद विक्रय से अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	1ग		
		घ	धारा 54ख/54घ/54छ/54ज के अधीन कटौती	1घ		
		ङ	मंद विक्रय से शुद्ध अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग + 1घ)	1ङ		
		2	अनिवासी की दशा में, जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू होता है, आस्तियों से			2
		3	अन्य आस्तियों से			
			क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	3क	
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां		
			i	अर्जन की लागत	खा	
			ii	सुधार की लागत	खii	
			iii	अंतरण पर व्यय	खाiii	
			iv	योग (खा+ खii+ खiii)	खाiv	
		ग	बकाया (3क-खiv)	3ग		
		घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन उपेक्षा की जाने वाली हानि, यदि कोई हो (केवल घनात्मक मूल्य लिखें)	3घ		

	ड धारा 54ख/54घ के अधीन छूट	3ड						
	च अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (3ग+3घ-3ड) (शून्य लिखें यदि हानि है)							3च
4	अवक्षयी आस्तियों पर समझा गया अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची-डीसीजी का 6)							4
5	धारा 54ख/54घ/54ङ/54च/54छ/54क के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई रकम							5
6	कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1ड+2+3च+4+5)							6
7	6 में सम्मिलित धारा 111क के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ							7
8	धारा 111क में निर्दिष्ट से भिन्न अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (6-7)							अ8
आ दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ								
1	मंदा में विक्रय से							
	क प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1क						
	ख उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य	1ख						
	ग मंदा में विक्रय से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	1ग						
	घ धारा 54ख/54घ/54ङ/54च/54छ/54क के अधीन	1घ						
	ड मंद विक्रय से शुद्ध दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग-1घ)							1ड
2	अनिवासी की दशा में, जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू होता है, आस्ति							2
3	आस्तियों से, जिनके लिए 112(1) के परंतुक के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया							
	क प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	3क						
	ख धारा 48 के अधीन कटौतियां							
	i सूचीकरण के पश्चात् अर्जन की लागत	खi						
	ii सूचीकरण के पश्चात् सुधार की लागत	खii						
	iii अंतरण पर व्यय	खiii						
	iv योग (खi+खii+खiii)	खiv						
	ग अतिशेष (3क-खiv)	3 ग						
	घ धारा 54ख/54घ/54ङ/54च/54छ/54क के अधीन कटौती	3घ						
	ड शुद्ध अतिशेष (3ग-3घ)							3ड
4	अन्य आस्तियों से, जिनके लिए 112(1) के परंतुक के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया							
	क प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	3क						
	ख धारा 48 के अधीन कटौतियां							
	i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	खi						
	ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खii						
	iii अंतरण पर व्यय	खiii						
	iv योग (खi+खii+खiii)	खiv						
	ग अतिशेष (4क-खiv)	4ग						
	घ धारा 54ख/54घ/54ङ/54च/54छ/54क के अधीन कटौती	4घ						
	ड शुद्ध अतिशेष							4ड
5	धारा 54ख/54घ/54ङ/54च/54छ/54क के अधीन दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी जाने वाली रकम							5
6	कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1ड*+2+3ड*+4ड*+5) * (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि है)							आ6
इ	“पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन पूंजी अभिलाभ (अ6+ आ 6 ) (आ6 के लिए शून्य यदि हानि हो)							इ
ई	पूंजी अभिलाभ के प्रोद्भव/प्राप्ति के बारे में जानकारी							
	तारीख		15/6 तक (i)	16/6 तक (ii)	15/9 तक (iii)	16/9 से 15/12 तक (iii)	16/12 से 15/3 तक (iii)	16/3 से 31/3 तक (iv)
1	दीर्घकालिक, जहां धारा 112(1) का परंतुक प्रयुक्त होता है ( सूचीकरण बिना)- एसआई अनुसूची में कोड 22 है, कर दर 10 प्रतिशत है ; अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद बी4सी से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों							
2.	दीर्घकालिक, जहां धारा 112(1) का परंतुक प्रयुक्त नहीं होता है ( सूचीकरण के साथ)- एसआई अनुसूची में कोड 21 है, कर दर 20 प्रतिशत है ; अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद (बी6-बी4सी) से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों							
3	111क के अधीन अल्पकालिक- अनुसूची एसआई में कोड 1क है, कर दर 15 प्रतिशत है ; अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद क7से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों							
4.	अल्पकालिक अन्य- सामान्य दर पर कराधेय ; अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद क8से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों							
टिप्पण	कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची - विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें							

**अनुसूची-अन्य स्रोत** अन्य स्रोतों से आय

अन्य स्रोत	1	घुड़दौड़ के स्वामित्व से भिन्न आय			
	क	लाभांश, सकल	1क		
	ख	ब्याज, सकल	1ख		
	ग	मशीनरी, संयंत्र, भवन से किराए की आय	1ग		
	घ	अन्य, सकल	1घ		
	ङ	योग (1क+1ख+1ग+1घ)		1ङ	
	च	धारा 57 के अधीन कटौती			
		i	ब्यय/कटौती	चि	
		ii	अवक्षयण	चii	
		iii	योग	चiii	
	छ	अतिशेष (1ङ-चiii)		1छ	
	2	लाटरी, वर्ग पहेली, दौड़ आदि से जीत		2	
3	अन्य स्रोत से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (1छ+2)		3		
4	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण से आय				
	क	प्राप्तियां	4क		
	ख	(4) के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	4ख		
	ग	अतिशेष (2क-2ख)		4ग	
5	“अन्य स्रोत से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (3+4ग) (यदि हानि है तो 4ग को शून्य दिखाए और 4ग की हानि को अनुसूची सीएफएल में दिखाएँ)		5		

**अनुसूची सीवाईएलए** चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरे

क्र.सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को केवल तभी भरें यदि आय शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा की गई चालू वर्ष की गृह संपत्ति हानि		मुजरा की गई चालू वर्ष की कारबार हानि (सट्टे की हानि से भिन्न)		मुजरा की गई चालू वर्ष की अन्य स्रोत से हानि (घुड़दौड़ से हानि से भिन्न)		मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वर्ष की आय
			कुल हानि (अनुसूची-एचपी का 4ग)		कुल हानि (अनुसूची-बीपी का अ37)		कुल हानि (अनुसूची-ओएस का 3)		
		1	2	3	4	5=1-2-3-4			
i	गृह संपत्ति								
ii	कारबार (जिसके अंतर्गत सट्टे का लाभ भी है)								
iii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ								
iv	दीर्घकालिक अभिलाभ								
v	अन्य स्रोत (घुड़दौड़ का स्वामित्व से लाभ परन्तु लाटरी से जीत को छोड़कर)								
vi	मुजरा की गई कल हानि								
vii	मुजरे के पश्चात् शेष बची हानि								

**अनुसूची-बीएफएलए** पूर्व वर्षों की अग्रनीत हानियों के मुजरे के पश्चात् आय के ब्यौरे

क्र.सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात्	मुजरा की गई अग्रनीत हानि	मुजरा किया गया अग्रनीत अवक्षयण	मुजरा किया गया, धारा 35(4) के अधीन अग्रनीत मोक	मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वर्ष की आय
			1	2	3	4
i	गृह संपत्ति					
ii	कारबार (जिसके अंतर्गत सट्टे का लाभ भी है)					
iii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
iv	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
v	अन्य स्रोत (घुड़दौड़ के स्वामित्व से लाभ परन्तु लाटरी से जीत को छोड़कर)					
vi	योग					
vii						
<b>योग (i5 + ii5 + iii5 + iv5 + v 5)</b>						



**अनुसूची-10ख**

धारा 10ख के अधीन कटौती

धारा 10ख के अधीन कटौती	शत प्रतिशत निर्यातान्मुख यूनिटों की बाबत कटौती			
	क	उपक्रम सं0 1	क	
	ख	उपक्रम सं0 2	ख	
	ग	उपक्रम सं0 3	ग	
	घ	उपक्रम सं0 4	घ	
	ङ	उपक्रम सं0 5	ङ	
	च	योग (क+ख+ग+घ+ङ)		

**अनुसूची-10खक**

धारा 10खक के अधीन कटौती

धारा 10खक के अधीन कटौती	शत प्रतिशत निर्यातान्मुख यूनिटों की बाबत कटौती			
	क	उपक्रम सं0 1	क	
	ख	उपक्रम सं0 2	ख	
	ग	उपक्रम सं0 3	ग	
	घ	उपक्रम सं0 4	घ	
	ङ	उपक्रम सं0 5	ङ	
	च	योग (क+ख+ग+घ+ङ)		

**अनुसूची-80छ**

धारा 80छ के अधीन कटौती के लिए पात्र संदानों के ब्यौरे

संदानों के ब्यौरे	अ	100% कटौती के लिए पात्र संदान			
		अदाता का नाम और पता		संदान की रकम	
		i		आi	
		ii		आii	
		iii		आiii	
		iv		आiv	
		v		आv	
		vi	योग	आvi	
	आ	जहां अदाता का धारा 80छ(5)(vi)के अधीन अनुमोदित होना अपेक्षित नहीं है, वहां 50% कटौती के लिए पात्र संदान			
		अदाता का नाम और पता		संदान की रकम	
		i		आi	
		ii		आii	
		iii		आiii	
		iv		आiv	
		v		आv	
		vi	योग	आvi	
	इ	जहां अदाता का धारा 80छ(5)(vi)के अधीन अनुमोदित होना अपेक्षित है, वहां 50% कटौती के लिए पात्र संदान			
		अदाता का नाम और पता	अदाता का स्थायी लेखा सं0	संदान की रकम	
		i		इi	
		ii		इii	
		iii		इiii	
	iv		इiv		
	v		इv		
	vi	योग	इvi		
ई	कुल संदान (आvi + आvi + इvi)			इ	

**अनुसूची-80झक**

धारा 80-झक के अधीन कटौतियां

धारा 80-झक के अधीन कटौतियां	क	धारा 80-झक(4)(i) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (अवसररचना सुविधा)	क	
	ख	धारा 80-झक(4)(ii) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (दूरसंचार सेवाएं)	ख	
	ग	धारा 80-झक(4)(iii) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (औद्योगिक पार्क और विशेष आर्थिक जोन)	ग	
	घ	धारा 80-झक(4)(iv) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत)	घ	

ड धारा 80-झक(4)(v) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत उत्सर्जन संयंत्र का पुनरुज्जीवन) और धारा 80झक (vi) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (क्षेत्र पार प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क)	ड		
च धारा 80-झक के अधीन कुल कटौती (क+ख+ग+घ+ड)	च		

अनुसूची-80-झख		धारा 80-झख के अधीन कटौतियां	
क	धारा झख(3) में निर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रम की बाबत उपक्रम की बाबत कटौती (लघु उद्योग)	क	
ख	जम्मू-कश्मीर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती (धारा80झख(4))	ख	
ग	आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौती (धारा80झख(4))	ग	
घ	औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौती (धारा80झख(5))	घ	
ड	बहुविध थियेटर की दशा में कटौती (धारा80झख(7क))	ड	
च	कन्वेंशन केन्द्रों की दशा में कटौती (धारा80झख(7ख))	च	
छ	वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली कंपनी की दशा में कटौती (धारा80झख(8क))	छ	
ज	ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और खनन आरंभ करता है (धारा80झख(9))	ज	
झ	गृह परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80झख(10))	झ	
ञ	प्रशीतन श्रृंखला सुविधा का प्रचालन करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80झख(11))	ञ	
ट	फल और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80झख(11क))	ट	
ठ	अनाज की संभलाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80झख(11क))	ठ	
ड	ग्रामीण अस्पताल के प्रचालन और अनुरक्षण में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80झख(11ख))	ड	
ढ	धारा 80झख के अधीन कुल कटौती (क से ड का योग)	ढ	

अनुसूची-80-झग या 80-झड		धारा 80-झग या धारा 80झड के अधीन कटौतियां	
1	सिक्किम में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	1	
2	हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	2	
3	उत्तरांचल में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	3	
4	पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती		
क	असम	4क	
ख	अरुणाचल प्रदेश	4ख	
ग	मणिपुर	4ग	
घ	मिजोरम	4घ	
ड	मेघालय	4ड	
च	नागालैंड	4च	
छ	त्रिपुरा	4छ	
ज	पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का योग (4क से 4छ का योग)	4ज	
5	धारा 80झग या धारा 80झड के अधीन कुल कटौती (1+2+3+4ज)	5	

अनुसूची -6क		अध्याय 6क के अधीन कटौतियां	
क	80छ	च	80झख (अनुसूची 80झग का ढ)
ख	80छक	छ	80झग/80झड (अनुसूची 80झग/80झड का 5)
ग	80छग	ज	80झघ/80जक
घ	80झक (अनुसूची 80झक का च)	झ	80ठक
ड	80झकख	ञ	80त
ट	अध्याय 6क के अधीन कुल कटौती (क से ज का योग)	ट	

**अनुसूची एसआई**

विशेष दर झख से आयकर से प्रभार्य आय (धारा कोड और कर की दर के लिए कृपया अदेश सं0-9(iii) देखें)

विशेष दर	क्र.सं.	धारा कोड	<input type="checkbox"/>	विशेष दर (%)	आय i	उस पर कर ii	क्र.सं.	धारा कोड	<input type="checkbox"/>	विशेष दर (%)	आय i	उस पर कर ii
	1	1क	<input type="checkbox"/>	15			6		<input type="checkbox"/>			
2	22	<input type="checkbox"/>	10			7		<input type="checkbox"/>				
3	21	<input type="checkbox"/>	20			8		<input type="checkbox"/>				
4	5घघ	<input type="checkbox"/>	30			9		<input type="checkbox"/>				
5		<input type="checkbox"/>				10		<input type="checkbox"/>				
11	योग (1ii से 10ii)											

**अनुसूची-छूट प्राप्त आय**

छूट प्राप्त आय के ब्यौर (कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय)

1	ब्याज आय	1	
2	लाभांश आय	2	
3	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ, जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर संदत्त किया गया है	3	
4	शुद्ध कृषि आय (नियम 7, 7क, 7ख या 8 के अधीन अपवर्जित की जाने वाली आय से भिन्न)	4	
5	फर्म/एओपी आदि पर लाभांश	5	
6	अन्य	6	
7	योग (1+2+3+4+5+6)	7	

**अनुसूची-आयकर**

अग्रिम कर और आयकर के स्वतः निर्धारण कर संदायों के ब्यौरे

क्र.सं.	बैंक और शाखा का नाम	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चालान का क्रम सं०	रकम (₹०)
ii					
iii					

टिप्पण ► भाग ख-टीटीआई के क्र०सं० 11क और 11घ में अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर का योग प्रविष्ट करें।

**अनुसूची- स्रोत पर कर कटौती 2**

क्र.सं.	कटौतीकर्ता का कर कटौती खाता संख्या (टैन)	कटौतीकर्ता का नाम और पता	संदत्त रकम	संदाय/जमा की तारीख	कुल कटौती किया गया कर	(6) से रकम जिसका इस वर्ष के लिए दावा किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
i						
ii						
iii						

टिप्पण भाग ख टीटीआई के अनुसूची टीडीएस 1 और टीडीएस 2 के स्तंभ 7 का योग प्रविष्ट करें

**अनुसूची-टीसीएस**

अन्य आय से स्रोत पर कटौती किए गए कर का ब्यौरा [प्ररूप 27घ के अनुसार]

क्र.सं.	संग्रहकर्ता का कर संग्रहण एकाउंट नंबर और कर कटौती	कलटर का नाम और पता	प्राप्ति/विकलन की रकम	प्राप्ति/विकलन की तारीख	कुल कर कटौती	वर्ष के दौरान (6) में से प्रत्यय के रूप में अनुज्ञात की गई रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i						
ii						
iii						

टिप्पण :- भाग ख-टीटीआई के क्रम संख्या 11ग में स्तंभ का योग प्रविष्ट करें।